# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
गैरेज, मालिक(अंजार आलम)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **463/2020–21**,
केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त गैरेज के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

| ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **–: आदेश :–**<br>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक– 213/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। **प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 422/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं गैरेज के अधिहरण से संबंधित है।** प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–डुमरैल चौक, थाना–सदर, घटना की तिथि–01.09.2019 के साथ वर्णित है कि–<br>"गुप्त सूचना के आधार पर मद्यनिषेध निरीक्षक के पर्यवेक्षण में अपने अधीनस्थ उत्पाद बल प्रतिनियुक्त सैफ व गृह रक्षको के साथ उपर्युक्त स्थान तिथि व समयानुसार उपस्थित गवाहों के समक्ष अपनी व अपनी टीम के सभी सदस्यों की जमा तलाशी उपरांत कंडिका 2 में अंकित फरार अभियुक्त के **गैरेज से कंडिका 3 से 6** तक अंकित अवैध मशालेदार देशी शराब बरामद हुआ। तत्पश्चात् उपस्थित गवाहो के समक्ष बि0म0नि0उ0 अधि0 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत जप्त प्रदर्श का नमूना तैयार किया गया। जप्त सुची की एक प्रति अभियुक्त(फरार) के किराये के कब्जे के मोटर गैरेज पर चिपका दी गई।"<br>**उक्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद विनष्टीकरण वाद संख्या** 633/20–21 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिनांक 15.09.2020 को दिया गया। साथ ही जप्त गैरेज के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।<br>प्रतिवादी अंजार आलम उर्फ मो0 आजाद, पिता– स्व0 मो० अनवारूल, साकिन– भेड़धरी वार्ड नं0 38, थाना– सदर, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।<br>प्रतिवादी का कहना है कि वे एक नेक, शरीफ कानून पाबंद | |

b

व्यक्ति हैं। उनके विरूद्ध कोई केश–मोकदमा कहीं भी नहीं है। वे मेहनत–मजदुरी करके अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए सिवाये व्यानात कारण पृच्छा के अन्य व्यानात विपक्षी कबूल वो मंजूर नहीं करते हैं। वे एक मोटर मिस्त्री हैं जो विभिन्न मोटर गैरेज में कारीगर स्वरूप कार्य करते हैं। इसी क्रम में गैरेज मालिक ने विपक्षी को काम करने के लिए सम्पर्क किया। बाद में, मजदूरी को लेकर आपस में मतभेद होने के कारण उक्त गैरेज के मालिक से तकरार हो गया। गैरेज प्रतिवादी का नहीं है और गैरेज वाली जमीन से भी विपक्षी को कोई हक सरोकार वो मतलब नहीं है।

आगे कहना है कि, उक्त गैरेज से जप्त किया गया शराब दिनांक–01.09.2019 को बरामद हुआ और जब राहगीर व्यक्तियों से पूछताछ किया गया कि यह गैरेज किसका है तो उन्होंने एक अंदाज से आवेदक का नाम इस निस्वत लिया कि इनका घर उक्त गैरेज के समीप है। जबकि उन्हें इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। जब श्रीमान् के न्यायालय से ज्ञापांक–793 दिनांक–29.10.2019 के माध्यम से नोटिस प्रतिवादी को दी गयी तो उन्हें इस मामले की जानकारी हुई। प्रतिवादी का नाम भी उक्त नोटिश में सही नहीं है परन्तु उनके पिता का नाम होने के कारण वे उक्त नोटिश प्राप्त किये।

पुनः कहना है कि वास्तविकता यह है कि छापमारी के दिन प्रतिवादी अपने घर पर उपस्थित नहीं थे एवं प्रतिवादी के पास से किसी प्रकार के सामानों की बरामदगी नहीं हुई है। वे इस घटना एवं गैरेज वो गैरेज के जमीन के संबंध में पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं वो अपने उपर लगाए गये आरोप से इन्कार करते है।

इनके ओर से मुख्यतः उक्त तथ्यों के साथ अपने ओर से दाखिल कारण पृच्छा को स्वीकार वो मंजूर करते हुए लगाये गये आरोपों से मुक्त करने एवं वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि गैरेज का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त गैरेज को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

दोनों पक्ष को सुनने व अधीक्षक मद्य निषेध से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा उत्पाद विभाग से

प्रतिवेदित गैरेज में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का भंडारण किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जप्त गैरेज जमीन सहित का अधिहरण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में उक्त जप्त गैरेज को जमीन सहित राज्य के पक्ष में अधिहरण करने हेतु आदेशित किया जाता है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त जप्त गैरेज जमीन सहित का अंचलाधिकारी कहरा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा, अंचलाधिकारी कहरा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्ता
सहरसा।

समाहर्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 27 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अंचलाधिकारी, कहरा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

08/01/21